प्रकरण संख्या 01/2019 2019/00009 तारीख रजु–20.02.2019

न्यायालय जिला कलक्टर करौली

पीठासीन अधिकारी डॉ. मोहन लाल यादव, आई.ए.एस.

उनवान

सरकार जरिये तहसीलदार करौली तहसील करौली जिला करौली – प्रार्थी

बनाम

1. मांगीलाल पुत्र श्रीचंद
2. रत्तीराम पुत्र श्रीचंद
3. मंगल पुत्र श्रीचंद
4. रामखिलाड़ी पुत्र श्रीचंद
5. कमल पुत्र श्रीचंद
6. गजल्ली पुत्र श्रीचंद
7. हंसराज पुत्र बुद्धू
8. लीला पुत्री बुद्धू
9. सुआ पुत्री बुद्धू
10. माया पुत्री बुद्धू
11. पानो पत्नि बुद्धू

सभी जातियान मीना निवासीयान बाजीदपुर तहसील करौली जिला करौली

12. शाखा प्रबंधक, सैण्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा करौली
13. शाखा प्रबंधक, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा करौली
14. शाखा प्रबंधक, पंजाब नेशनल बैंक, शाखा कैलादेवी – अप्रार्थीगण

रेफरेन्स अंतर्गत धारा 82 भू–राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक–10.02.2020

प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि भूमिधारी तहसीलदार करौली ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध यह प्रार्थना पत्र रेफरेन्स प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि आराजी खसरा नंबर 304 रकबा 0–11 बीघा ग्राम बाजीदपुर तहसील करौली का प्रार्थी लैण्ड होल्डर है। यह कि आराजी खसरा नंबर 304 रकबा 0–11 बीघा ग्राम बाजीदपुर सम्वत् 2015 एवं इसके पश्चात् गै.मु. नाला दर्ज रिकॉर्ड था परन्तु जमाबंदी संवत् 2019–2023 तक के खाता संख्या 91 किस्म गै.मु. नाला से श्री हरपाल पुत्र श्री हरदेव जाति मीना निवासी बाजीदपुर के नाम जरिये आवंटन/नियमन/डिक्री से दर्ज कर दिया गया। वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2072 से 2075 तक में मांगीलाल, रत्तीराम, मंगल, रामखिलाड़ी, कमल, गजल्ली पि. श्रीचंद, हंसराज पुत्र बुद्धू, लीला, सुआ, माया पुत्रियां बुद्धू, पानो पत्नि बुद्धू जाति मीना निवासी बाजीदपुर तहसील करौली जिला करौली के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। यह कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत राजस्व रिकार्ड में दर्ज झील, तालाब, नदी, नाले, जलाशयों आदि की भूमि पर निजी खातेदारी अधिकार उद्भूत नहीं होते हैं इस प्रकार से यह अंकित हस्तांतरण अवैध एवं स्वयं ही प्रभाव शून्य होने से निरस्त योग्य है। डी0बी0 सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 02.08.2004 के द्वारा नदी, नाले, जलाशय आदि की भूमि जो दिनांक 15.08.1947 में राजस्व रिकार्ड में दर्ज है को वापस सरकारी भूमि में दर्ज करने एवं इसके बाद हुए परिवर्तन को अवैध घोषित किए जाने के निर्देश हैं। अंत में प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए आराजी खसरा नंबर 304 रकबा 0–11 बीघा बाके ग्राम बाजीदपुर को वापस राजकीय भूमि गै.मु. नाला दर्ज किए जाने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया है।

उक्त प्रार्थना पत्र के साथ रिपोर्ट पटवारी, जमाबन्दी सम्वत् 2015, 2019–22, 2031–34, 2072–75 नामांतरकरण संख्या 39 दिनांक 17.10.77, 37/30.05.1976, की प्रमाणित प्रति संलग्न की है।

तहसीलदार करौली के उक्त प्रार्थना पत्र रेफरेन्स के इस न्यायालय में प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी अप्रार्थीगण की गई।

अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3, 5 ता 12 को कार्यालय द्वारा जारी नोटिस की सम्यक् तामील होने के उपरांत भी अप्रार्थीगण ना तो उपस्थित हुए और ना ही कोई जवाब पेश किया। अतः अप्रार्थीगण के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया।

वकील अप्रार्थी संख्या 13 व 14 को बार–बार अवसर दिये जाने पर भी वकील अप्रार्थी संख्या 13 द्वारा जवाब तथा वकील अप्रार्थी संख्या 14 द्वारा वकालतनामा व जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे इनके जवाब व वकालतनामा प्रस्तुत करने के अवसर बंद किये जाकर इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया।

अप्रार्थी संख्या 4 द्वारा जवाब पेश कर निवेदन किया है कि उक्त उनवानी प्रकरण प्रार्थी के विरुद्ध झूठा प्रस्तुत किया गया है जो खारिज होने योग्य है। आराजी खसरा नं. 304 रकबा 11 विस्वा किस्म गै.मु. नाला बाके ग्राम बाजीदपुर में स्थित है जिसे राज्य सरकार द्वारा नियमानुसार प्रार्थी को आवंटित किया गया है। आवंटन के पश्चात् से ही प्रार्थी उक्त भूमि पर काबिज काश्त चला आ रहा है। मौके पर कोई गै.मु. नाला नहीं है। प्रार्थी गरीब भूमिहीन व्यक्ति है और अनुसूचित जनजाति का सदस्य है। प्रार्थी के विरुद्ध तहसीलदार करौली द्वारा रेफरेन्स की कार्यवाही विधि विरुद्ध रूप से की गई है जो खारिज किये जाने योग्य है। अंत में रेफरेन्स प्रार्थना पत्र को खारिज फरमाने का निवेदन किया है।

बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का गंभीरतापूर्वक अवलोकन करते हुए मनन किया। जमाबन्दी संवत् 2015 के अनुसार सिवायचक बिला लगानी आराजी खसरा नंबर 304 रकबा 0–11 बीघा गै.मु. नाला दर्ज रिकॉर्ड है। जमाबंदी संवत् 2019–22 में हरपाल पुत्र हरदेव जाति मीना निवासी बाजीदपुर के नाम दर्ज है। नकल जमाबन्दी सं0 2072 लगायत 2075 के अनुसार खसरा नंबर 304 किस्म बारानी–2 रकबा 0–11 मांगीलाल पुत्र श्रीचंद हि. 1/12, रत्तीराम पुत्र श्रीचंद हि. 1/12 राहिन सी.बी.आई. शाखा करौली मुर्त., मंगल, रामखिलाड़ी पि. श्रीचंद हि. 1/6, हंसराज पुत्र बुद्धू, लीला, सुआ, माया पुत्रियां बुद्धू, पानो पत्नि बुद्धू हिस्सा 1/2 राहिन पी.एन.बी. शाखा करौली कमल, गजल्ली पि. श्रीचंद हिस्सा 1/6 राहिन एस.बी.आई. करौली अंकित है। इससे स्पष्ट है कि यह जमीन पूर्व में गै.मु. नाला दर्ज थी जिसकी किस्म परिवर्तन के बाद भूमि आवंटित की गई है। चूंकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत राजस्व राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज झील, तालाब, नदी, नाले, जलाशयों आदि की भूमि पर निजी खातेदारी अधिकार उद्भूत नहीं होते हैं इस प्रकार यह अंकित हस्तांतरण अवैध एवं स्वयं ही प्रभाव शून्य होने से निरस्त योग्य है। डी0बी0 सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 02.08.2004 के विस्तृत निर्णय में उल्लेखित किया है कि All the lands shown as drainage channels like nalla, rivers, tributaries etc. as on 15-08-1947 should be declared as Government land. Any conversions made after 15-08-1947 should be declared illegal. The relevant act and rules must be amended accordingly. माननीय उच्च न्यायालय की खण्डपीठ द्वारा जनहित याचिका में पारित निर्णय से हम सहमत है।

अतः भूमिधारी तहसीलदार करौली का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 L.R. Act 1956 स्वीकार किया जाकर ग्राम बजीदपुर की आराजी खसरा नंबर 304 रकबा 0–11 बीघा को वापस राजकीय भूमि गै.मु. नाला दर्ज करने अनुशंषा की जाती है जिसकी स्वीकृति देने हेतु मूल पत्रावली राजस्व मण्डल अजमेर को प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 10.02.2020 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ. मोहन लाल यादव)
जिला कलक्टर
करौली

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Mohan Lal Yadav
Date: 2020.02.14 13:39:40 IST
Reason: SelfAttested
Location: